# *ऋण अंतराल को पाटना: भारतीय साख सूचना आधारभूत संरचना का विकास**

*श्री एम. राजेश्वर राव*

देवियो और सज्जनो, सुप्रभात।

सबसे पहले, मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य भाषण देने के लिए मुझे आमंत्रित करने हेतु आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और ट्रांस यूनियन सीआईबीआईएल (टीयू सिबिल) को उसकी 25वीं वर्षगांठ पर बधाई देता हूँ। भारत में साख सूचना और टीयू सिबिल का एक साथ विकास हुआ है और कंपनी ने देश में साख सूचना के दायरे का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साख सूचना प्रणालियाँ आज राष्ट्रीय वित्तीय आधारभूत संरचना में एक प्रमुख तत्व के रूप में कार्य करती हैं, जो अधिक ऋण पहुँच को प्रोत्साहित करती हैं, वित्तीय समावेशन का समर्थन करती हैं, प्रभावी पर्यवेक्षण को सक्षम बनाती हैं और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाती हैं। इसलिए यह रजत जयंती इस आधारभूत संरचना को मजबूत करने में टीयू सिबिल के निरंतर योगदान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। यह हमें इस बात पर विचार करने का अवसर भी देता है कि समय के साथ ऋण संस्थानों और उधारकर्ताओं के बीच सूचना के अंतर को कैसे दूर किया गया है और आगे का संभावित रास्ता क्या है।

**भारत में ऋण सूचना कंपनियों का विकास**

इस भाषण के संदर्भ विषय को प्रस्तुत करने के लिए, भारत में ऋण सूचना कंपनियों के विकास पर संक्षेप में विचार करना सार्थक होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदात्री संस्थाओं से ऋण संबंधी जानकारी एकत्रित करने तथा वित्तीय प्रणाली को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की आवश्यकता को पहचाना था तथा इस उद्देश्य के लिए 1999 में एक कार्य दल का गठन किया था। इसके बाद 2000 में भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल) की स्थापना की गई और पिछले कुछ वर्षों में, तीन अन्य साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) ने भी भारत में अपना परिचालन शुरू किया है।

पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों ने साख सूचना कंपनियों की व्यापक स्वीकृति में बाधा उत्पन्न की थी। प्रमुख बाधाओं में ऋणदाताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की असंगत गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण तंत्र में कमियाँ शामिल हैं। इसलिए, इस क्षेत्र में बाधा डालने वाले मुद्दों की जाँच के लिए 2013 में एक समिति का गठन किया गया और इसकी सिफारिशों के आधार पर, 2014 में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए।[1] इनमें व्यक्तिगत, कारपोरेट और सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता वर्गों के लिए डेटा प्रारूपों का मानकीकरण, विभिन्न विनियमित निकायों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए तकनीकी कार्य दल के तंत्र को संस्थागत बनाना और डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत करना शामिल हइन।

हाल के दिनों में, हमारा ध्यान डेटा की गुणवत्ता में सुधार और ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय करने पर रहा है। सूचना अंतर को कम करने, डेटा गुणवत्ता बढ़ाने और ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, इन उपायों में व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क पूर्ण साख रिपोर्ट (एफएफसीआर) की उपलब्धता को अनिवार्य करना, सीआईसी द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति, सीआईसी के लिए रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना का विस्तार, ग्राहकों को उनकी ऋण जानकारी देने में देरी के लिए मुआवजा के लिए एक योजना की शुरुआत और साख सूचना की आवृत्ति में वृद्धि करना शामिल था। आरबीआई के निर्देशों में सीआईसी को बड़े चूककर्ताओं और इरादतन कर्ज न चुकाने वालों पर दायर किए गए मुकदमा खातों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है।

इसलिए, इस समय ऋण पहुँच सुलभ कराने में डेटा और उभरती हुई तकनीक की भूमिका अत्यंत प्रासंगिक और संबंधित है। लेकिन अगर हम समय में पीछे जाएं, यानी 25 साल पहले,

---

* 1 जुलाई, 2025 को मुंबई में ट्रांसयूनियन सिबिल के ऋण सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। ज्योति प्रकाश शर्मा, ऋतुराज और तारिक अंसारी द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार।

[1] श्री आदित्य पुरी की अध्यक्षता में साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा फार्मेट की सिफ़ारिश करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन।

तो सूचना का अभाव और सूचना तक पहुँच की उच्च लागत, आबादी के एक बड़े हिस्से, यानी आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए ऋण तक पहुँच में बाधा बन रही थी। ऐसे ही परिदृश्य में, देश में साख सूचना ने जड़ें जमानी शुरू कीं और तब से हमने एक लंबा सफर तय किया है। सुरक्षित ऋण तक बेहतर पहुँच के अलावा, सीआईसी द्वारा प्रदान की गई ऋण जानकारी तक पहुँच से ऋणदाताओं को असुरक्षित ऋणों के लिए हामीदारी देने का विश्वास मिलता है, क्योंकि इससे प्रमुख उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं के बीच पहले से विद्यमान सूचना का अंतर कम हो जाता है।

हालांकि सीआईसी ने निस्संदेह सूचना अंतर को कम करने और बेहतर ऋण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि सूचना अंतर को अन्य पूरक तंत्रों के माध्यम से भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण और अभिलेखों के इलेक्ट्रॉनिकीकरण से प्रेरित है, इससे डेटा का एक विशाल भंडार तैयार हुआ है जिसका उपयोग सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के आर्थिक रुझानों पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए किया जा सकता है। फिनटेक के विकास और वित्तीय सेवाओं में नवाचारों के साथ, व्यक्तियों और संस्थाओं के वित्तीय व्यवहार और ऋण पात्रता की बेहतर समझ हासिल करने के लिए वैकल्पिक डेटा सेट का उपयोग करने के व्यावसायिक अवसर पैदा किए हैं। ये जानकारियाँ पारंपरिक विश्लेषण की तुलना में अधिक समृद्ध परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकती हैं और व्यापक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों को गति प्रदान कर सकती हैं। मैं इनमें से कुछ विकासों पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जो प्रौद्योगिकी-आधारित और विनियामक समर्थित हैं।

**सीईआरएसएई और सीआरआईएलसी**

2011 में, भारतीय प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएई) की स्थापना की गई थी, जिसका आरंभिक उद्देश्य एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकरण प्रक्रिया संचालित करना था। वर्षों से, यह अचल, चल, अमूर्त संपत्तियों के प्रतिभूति हित और प्राप्य राशियों के असाइनमेंट सहित एक पूर्ण रजिस्ट्री के रूप में विकसित हुई है। सभी प्रकार के ऋणदाताओं तक पहुंच और कुर्की आदेश और अदालती आदेश दाखिल करने की सुविधा प्रदान करके, सीईआरएसएआई किसी भी ऋणग्रस्त/कुर्क की गई संपत्ति की व्यापक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है।[2] रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बड़े ऋणों से संबंधित जानकारी एकत्र करने, संग्रहीत करने और प्रसारित करने के लिए 2013 में बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) की स्थापना की गई थी। इन पहलों ने निस्संदेह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने ऋण प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद की है, साथ ही वित्तीय प्रणाली में ऋण जोखिम के निर्माण पर पर्यवेक्षी जोखिम मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की है।

**डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई)**

भारत में फिनटेक क्रांति के केंद्र में भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) है – एक ऐसी आधारभूत संरचना जो जनहित के लिए प्रौद्योगिकी, बाज़ार और अनुशासन को एकीकृत करती है। डीपीआई में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) शामिल है, इसमें किसी भी बैंक खाते या ऐप में अंतर-संचालित प्रमुख त्वरित मोबाइल डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जो एक अरब से अधिक वयस्कों के लिए आधार डिजिटल आईडी, आधार पेमेंट ब्रिज जो लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) जो बायोमेट्रिक आधारित नकद निकासी और जमा का एक अंतर-संचालित नेटवर्क है, डिजिलॉकर जो सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल्स संग्रहीत करने के लिए एक ई-लॉकर है, भारत बिल भुगतान प्रणाली, जिसे अब बिल प्राप्त करने और भुगतान के लिए भारत कनेक्ट कहा जाता है, और फास्टटैग - एक निकट क्षेत्र संचार आधारित टोल शुल्क और पार्किंग संग्रह प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हैं। डीपीआई का एक और अंग, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, इसका पूरक है, जो सहमति से वित्तीय डेटा साझा करने के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय आधारभूत संरचना है। ऋण वितरण को सुगम बनाने के अलावा, यह खुले वित्त की दिशा में एक पहल है।

[2] https://www.cersai.org.in/CERSAI/aboutus.prg

पहली बार 2016 में दिशानिर्देश जारी होने के बाद से, यह अब तक एक लंबा सफर तय कर चुका है और वित्तीय संस्थानों की सहभागिता के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। खाता एग्रीगेटर ढांचे के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को शामिल करने से एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित ऋण देने में और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

**एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस (यूएलआई)**

ऋण के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में नवीनतम परिवर्धन एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस (यूएलआई) है, जिसे ऋणदाताओं को सत्यापित उधारकर्ता डेटा तक विनियमित, निर्बाध पहुँच प्रदान करके ऋण एक्सेस को सरल और लोकतांत्रिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जन धन खातों, आधार और मोबाइल फोन, जिन्हें आमतौर पर जेएएम ट्रिनिटी, यूपीआई और यूएलआई के रूप में जाना जाता है, का अभिसरण भारत के डिजिटल ऋण आधारभूत संरचना में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यूएलआई की एक प्रमुख विशेषता वैकल्पिक डिजिटल डेटा का उपयोग करने की इसकी क्षमता है, जिससे औपचारिक वित्तीय इतिहास के बिना भी ऋण तक पहुँच संभव हो जाती है। नाबार्ड के ई-केसीसी पोर्टल के साथ इसके एकीकरण से जिला केंद्रीय सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों तक पहुँच बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले औपचारिक डिजिटल माध्यमों से बाहर थे। राज्य-स्तरीय डिजिटल डेटा, जैसे भूमि अभिलेख और सहकारी डेटाबेस, को यूएलआई ढांचे में एकीकृत करने से नकदी प्रवाह-आधारित ऋण समाधान उपलब्ध होंगे। आगे चलकर, यूएलआई द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और गिग इकॉनमी ऐप्स से डेटा का उपयोग करने की क्षमता छोटे विक्रेताओं, डिलीवरी कर्मचारियों और फ्रीलांसरों के लिए ऋण समावेशन के नए द्वार खोल सकती है।

**ऋण तक बेहतर पहुँच**

जब हम इन उपायों के परिणामों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम महत्वपूर्ण परिवर्तन और लाभ देख सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, भारत का घरेलू ऋण बढ़कर 2024 में लगभग 43 प्रतिशत हुआ है। यह बढ़ती प्रवृत्ति केवल औसत ऋणग्रस्तता में वृद्धि के बजाय उधारकर्ताओं की संख्या में विस्तार से अधिक प्रेरित है।[3] हाल ही में देखी गई कुछ नरमी के बावजूद, 'खुदरा/व्यक्तिगत ऋण' श्रेणी के अंतर्गत बैंक ऋण के नियोजन में पायी गई वृद्धि ने पिछले पाँच वर्षों में लगभग 17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देखी।[4] इसके अलावा, वित्तीय समावेशन (एफआई) की सीमा को मापने और मूल्यांकन करने के लिए समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक में भी 2019 के 49.9 से 2024 में 64.2 तक काफ़ी सुधार हुआ है, जो देश में वित्तीय समावेशन को गहरा करने में प्रगति का संकेत देता है।[5] यह ऋण के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए ऋण की उपलब्धता में सुधार हुआ है और दूसरा, एफआई-सूचकांक में सुधार ऋण वितरण में कम हुई बाधाओं और वित्तीय पहुँच में परिणामी सुधार को दर्शाता है।

**एमएसएमई क्षेत्र के लिए डिजिटल पहल**

ऋण निर्णयों में डेटा और प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग का लक्षित लाभार्थी एमएसएमई क्षेत्र होना चाहिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। 7.34 करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक-तिहाई और निर्यात में 46% का योगदान करते हैं, यह क्षेत्र हमारे आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।[6] एमएसएमई के लिए ऋण की उपलब्धता में बढ़ोतरी यह रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की नीतिगत प्राथमिकता रही है। हालाँकि, एमएसएमई को औपचारिक ऋण प्राप्त करने में सूचना विषमता, अत्यधिक दस्तावेज़ीकरण और पारदर्शिता का अभाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ सीआईसी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। जब वाणिज्यिक साख सूचना कुशल होती है, तो लेनदारों को संबंधपरक ऋण और सीमित सूचना पर कम, और ऋण रिपोर्ट और अन्य ऋण रिपोर्टिंग उत्पादों पर आधारित तथ्यों और तथ्य-आधारित विश्लेषणों पर अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता होती है।

---

[3] वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2024 – भारतीय रिज़र्व बैंक।

[4] प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण का विनियोजन - भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस; व्यक्तिगत ऋणों में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु ऋण, आवास ऋण, एफडी/शेयर/बांड/के बदले अग्रिम, ऋण कार्ड, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, सोने के बदले ऋण और अन्य व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।

[5] वार्षिक रिपोर्ट 2025 – भारतीय रिज़र्व बैंक।

[6] भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को समझना - प्रगति और चुनौतियाँ, मई 2025 - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)।

### फिनटेक पारितंत्र का उदय

यह पहचानने की आवश्यकता है कि हाल ही में फिनटेक खिलाड़ी शक्तिशाली प्रवर्तक के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने पहले से वंचित और कम सेवा प्राप्त आबादी तक ऋण को पहुंचाने के तरीके को बदल दिया है। प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाकर, उन्होंने अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की लागत और जटिलता को काफी कम कर दिया है। इससे न केवल उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार हुआ है, बल्कि उन लगातार चुनौतियों का भी समाधान हुआ है जो कई लोगों को औपचारिक ऋण के दायरे से बाहर रखती थीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम फिनटेक और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के बीच बढ़ते सहयोग को देख रहे हैं। यह साझेदारी ऋण उत्पत्ति और आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावशाली है, जहाँ यह दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक आधारभूत ढाँचे और मानव संसाधन की कमी से उत्पन्न अंतराल को पाटती है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2024 में, फिनटेक कंपनियों ने 1 लाख रुपये से कम के लगभग 47% छोटे व्यक्तिगत ऋणों का निपटान किया है।[7]

### खुला ऋण सक्षमता नेटवर्क और डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क

खुला ऋण सक्षमता नेटवर्क (ओसीईएन), ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं और ऋण सेवा प्रदाताओं के बीच बातचीत को सुगम बनाता है और ऋण वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए ऋण पारितंत्र के सभी प्रतिभागियों को एक साझा मंच पर प्रभावी ढंग से इकट्ठा करता है, फिनटेक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए भी तैयार है। यह उम्मीद की जाती है कि यह ऋणदाताओं को वैकल्पिक डेटा स्रोतों जैसे नकदी प्रवाह की जानकारी का उपयोग करके अधिक ज्ञात ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। भविष्य में, ओसीईएन और डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क (ओएनडीसी) के बीच गहन एकीकरण की आशाजनक संभावना है। इस तरह की अंतर-संचालनीयता ऋण पहुँच को और अधिक लोकतांत्रिक बना सकती है और एमएसएमई के लिए डिजिटल वाणिज्य में भागीदारी के नए रास्ते खोल सकती है, जिससे कई मोर्चों पर व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।[8]

### ऋण संवितरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

ऋण संवितरण के लिए निर्देश योग्य सीबीडीसी का प्रस्तावित उपयोग एक और अग्रणी पहल है। किसान ऋण कार्ड के तहत पट्टेदार किसानों को ऋण देने के लिए एक वाणिज्यिक बैंक का प्रारंभिक प्रोजेक्ट वहाँ आशादायी लग रहा है जहाँ यह निर्देश योग्य सीबीडीसी के अंतिम उपयोग की निगरानी सुनिश्चित करता है। भूमि रिकॉर्ड के बिना भी, पट्टेदार किसानों को आजीविका गतिविधि ट्रैकिंग के आधार पर औपचारिक ऋण दिया जा रहा है। यदि यह सफल रहा, तो इस मॉडल को सूक्ष्म उद्यमों, पुटपाथ विक्रेताओं और कारीगरों को दिए जाने वाले संपार्श्विक-मुक्त ऋणों के लिए दोहराया जा सकता है, जहाँ अंतिम उपयोग आश्वासन ज़िम्मेदार और उत्पादक ऋण प्रदान करने की अनुमति देता है। ऐसे संवितरणों की डिजिटल प्रकृति मूल्यवान डिजिटल छाप भी बनाती है, जिससे आगे ऋण देना संभव हो सकता है और सरकारी योजनाओं पर निर्भरता कम हो सकती है।

### ऋण संवितरण के लिए टोकनीकरण का लाभ उठाना

टोकनीकरण, अर्थात एक निर्देश योग्य प्लेटफ़ॉर्म पर वित्तीय या वास्तविक आस्तियों का डिजिटल प्रतिनिधित्व तैयार करना और रिकॉर्ड करना, एक ऐसा विकल्प हो सकता है जो बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और पहुँच प्रदान कर सकता है, और इसे डीमटेरियलाइज़ेशन और डिजिटलीकरण के बाद अगले चरण के रूप में देखा जा सकता है। यह सूचना के अंतर को कम करके लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की ऋण तक पहुँच को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा, एसएमई वास्तविक आस्तियों या व्यापार प्राप्तियों के टोकनीकरण से अपनी संपार्श्विक पेशकश में सुधार कर सकते हैं, जिससे ऋण बाजारों में उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है।[9] टोकनीकरण वित्तीय लेनदेन में आस्ति हस्तांतरण और भुगतान को एक साथ सक्षम कर सकता है, जिससे प्रतिपक्ष जोखिम कम हो सकता है और इस प्रकार संपार्श्विक की आवश्यकता काफी कम हो सकती है।

### ऋण संवितरण को सुगम बनाने में एआई/एमएल की भूमिका

विशेष रूप से वंचित आबादी के बीच ऋण सुविधा प्रदान करने में, एक प्रमुख चुनौती ऋण इतिहास का अभाव है। कृत्रिम

[7] 'स्मोल इज़ बिग'- फिनटेक कैसे ऋण देने में क्रांति ला रहे हैं, 2024 - एक्सपीरियन।

[8] https://www.dbs.com/india/newsroom_media/how-ocen-can-revolutionise-in-indias-msme-lending-ecosystem.page

[9] भुगतान और वित्तीय लेनदेन के लिए टोकनीकरण का लाभ उठाना, अप्रैल 2025 - नवोन्मेष और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सलाहकार समूह, अंतर् राष्ट्रीय निपटान बैंक।

बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके, ऋण पात्रता का अधिक सटीक निर्धारण करने के लिए, एल्गोरिदम विविध स्रोतों से वैकल्पिक डेटा का मूल्यांकन कर सकता है। वास्तव में, ऐसा लगता है कि वह समय दूर नहीं जब वैकल्पिक डेटा मात्र वैकल्पिक नहीं, बल्कि मुख्यधारा बन जाएगा। यह प्रगति ऋणदाताओं को उन व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाएगी जिन्हें पहले अपात्र माना जाता था। एआई/एमएल का उपयोग ऋण मूल्यांकन और जोखिम मूल्यांकन को स्वचालित करके संवितरण प्रक्रिया को सरल बना सकता है, जिससे न केवल निधि संवितरण में तेजी आती है, बल्कि प्रशासनिक लागत में भी कमी आती है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी छोटे ऋण प्रदान करना व्यावहारिक हो जाता है। इसके अलावा, एआई मॉडल, डेटा में पहले से छिपी हुई अंतर्दृष्टि को उजागर करने में उत्कृष्ट हैं, जिससे वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की वित्तपोषण आवश्यकताओं और ऋण पात्रता का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। वे अनुपालन कार्यप्रवाह को भी सुव्यवस्थित करते हैं, जैसे कि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रियाएँ, जिससे परिचालन लागत में उल्लेखनीय कमी आती है और ऋण देने की उनकी गति बढ़ जाती है। सूक्ष्म वित्त और सूक्ष्म ऋण, जो वंचित समुदायों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, इस प्रगति के सबसे बड़े लाभार्थी होने की संभावना है।

**ग्रामीण साख अंक**

एक अन्य पहल जो विचाराधीन है, वह है ग्रामीण साख अंक। यह अंक मौजूदा साख अंक के अतिरिक्त होगा और इसे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों के लिए, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण उधारकर्ताओं की ऋण-योग्यता का आकलन करने हेतु एक अनुरूप आधारभूत संरचना तैयार करके मौजूदा सामान्य साख अंकन प्रणालियों की सीमाओं को दूर करना है। यह उपाय किसानों और सीमांत समुदायों सहित ग्रामीण आबादी के लिए औपचारिक ऋण तक पहुँच में सुधार कर सकता है।

**रिज़र्व बैंक की भूमिका**

इस गतिशील रूप से विकसित हो रहे परिदृश्य में, रिज़र्व बैंक नवोन्मेष को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम विनियामक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। फिनटेक के लिए एक ऐसा नियामक ढाँचा स्थापित करने के उद्देश्य से, वित्तीय प्रणाली के लिए उनके द्वारा उत्पन्न विशिष्ट जोखिमों को न्यूनतम करते हुए, उनकी रचनात्मक क्षमता को अधिकतम कर संतुलन बनाए रखता है; रिज़र्व बैंक ने 2024 में फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों के लिए एक ढाँचा जारी किया। आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिज़र्व बैंक नवोन्मेष हब ने देश में फिनटेक की प्रगति को सुगम बनाने के लिए एक जीवंत आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने हेतु एक पहल शुरू की। फिनटेक और स्टार्टअप एक्सेलेरेशन (फास्ट) पहल का उद्देश्य नवोन्मेष और वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए हितधारकों अर्थात स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, निवेशक, विनियामक और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को जोड़ना है। एचएआरबीआईएनजीईआर पहल के माध्यम से, रिज़र्व बैंक डिजिटल वित्त यात्रा में वैश्विक नवोन्मेष समुदाय को दिव्यांगजनों के लिए समावेशी डिज़ाइन और पहुँच पर विशेष ध्यान देते हुए वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। निरंतर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए, हमने नियामक सैंडबॉक्स को 'ऑन टैप' और 'थीम-न्यूट्रल' बनाया है।

इन व्यापक परिवर्तनों को अपनाते हुए, हमें डेटा सटीकता, डेटा सुरक्षा और मॉडल जोखिम से जुड़े मुद्दों के समाधान की आवश्यकता के प्रति सचेत रहना होगा। ये डेटा-संचालित प्रणालियों के प्रभावी परिनियोजन में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं। गलत या अपूर्ण डेटा विश्लेषणात्मक आउटपुट और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता को कमज़ोर कर सकता है, जबकि खराब डेटा सुरक्षा संगठनों को उल्लंघनों के लिए प्रकाश में ला सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी दायित्व और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जटिल एआई और मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग मॉडल जोखिम को लेकर चिंताएँ पैदा करता है, खासकर जब पूर्वाग्रहों और प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव के लिए इन मॉडलों का पूरी तरह से परीक्षण, सत्यापन या निगरानी नहीं की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये मॉडल निष्पक्ष, पारदर्शी और विनियामक एवं नैतिक मानकों के अनुरूप बने रहें, कठोर सत्यापन प्रोटोकॉल, निरंतर निगरानी और मज़बूत अनुशासन ढांचा आवश्यक हैं। जहाँ हमें नई

प्रौद्योगिकियों और आधुनिक विनियामक दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, वहीं मूलभूत मूल्य – अखंडता, पारदर्शिता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता, वित्तीय समावेशन की दिशा में हमारे नवोन्मेष और पहलों को प्रेरित करना चाहिए। नवोन्मेष ज़िम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से संबधित अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

**आगे की राह**

आगे की राह अवसर और ज़िम्मेदारी से भरी है। सीआईसी के लिए, मैं दो महत्वपूर्ण कारकों अर्थात (i) डेटा की नवीनता बढ़ाना और (ii) डेटा की गुणवत्ता में सुधार का उल्लेख करना चाहूँगा। वर्तमान में, ऋण डेटा को हर पखवाड़े में अद्यतन किया जाता है। हमें और अधिक लगातार अद्यतनता की आकांक्षा रखनी चाहिए। वास्तविक समय या लगभग वास्तविक समय स संबंधित साख सूचना से हामीदारी अंकन सटीकता में सुधार होगा, साख बंद करने या पुनर्भुगतान जैसी उधारकर्ताओं की गतिविधियों का समय पर प्रतिबिंबन संभव होगा और बेहतर उपभोक्ता अनुभव प्रदान करेगा। इस बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया पुनर्रचना और परिवर्तन प्रबंधन में निवेश की आवश्यकता है। लेकिन इसके लाभ - पारदर्शिता, दक्षता और विश्वास - लागत से कहीं अधिक हैं। इसी प्रकार, डेटा की गुणवत्ता ज़िम्मेदारीपूर्ण ऋण देने का आधार है और रिज़र्व बैंक ने हमेशा विनियामक प्रस्तुतियों में सटीकता के महत्व पर ज़ोर दिया है। यह निर्धारित किया गया है कि ऋण संस्थानों (सीआईसी) द्वारा प्रस्तुत डेटा की गुणवत्ता में सुधार सुकर बनाने हेतु,ऋण संस्थानों (सीआईसी) को मासिक आधार पर एक डेटा गुणवत्ता सूचकांक स्कोर प्रदान किया जाएगा। एक अन्य प्रमुख चुनौती पहचान मानकीकरण है। सीआईसी सटीक और मान्य पहचान पत्र प्रदान करने के लिए ऋण संस्थानों पर निर्भर हैं। इसके बिना, दोहराव और गलत रिपोर्टिंग का जोखिम बना रहता है। हमें एक अद्वितीय उधारकर्ता पहचानकर्ता की ओर बढ़ना होगा, जो सुरक्षित, सत्यापन योग्य और संपूर्ण प्रणाली में सुसंगत हो।

हम एक परिवर्तनकारी वित्तीय युग के शिखर पर खड़े हैं जहाँ प्रौद्योगिकी, नीति और नवोन्मेष मिलकर ऋण पहुँच को लोकतांत्रिक बना रहे हैं। विभिन्न पहल, सहयोगात्मक साझेदारियाँ और निरंतर विनियामक समर्थन एक अधिक समावेशी, लचीली और धारणीय अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं। लेकिन एक स्थायी ऋण परिदृश्य के मूल में एक सशक्त उपभोक्ता निहित है, जो तब सक्षम होता है जब हमारे पास एक वित्तीय रूप से जागरूक और साक्षर ग्राहक हो। हालाँकि विनियम पारदर्शिता और जागरूकता को अनिवार्य बनाते हैं, लेकिन यह ज़िम्मेदारी हम सभी को निभानी होगी। वित्तीय साक्षरता एक बार के अभियान से हासिल नहीं की जा सकती; इसमें शामिल सभी संस्थानों और संस्थाओं के लिए एक सतत प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हालाँकि वित्तीय प्रणाली में संस्थानों ने सराहनीय कार्य किया है, लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है । साख सूचना कंपनियों की स्थापना एक तरह से वित्तीय समावेशन और ऋण के लोकतंत्रीकरण की इस यात्रा का प्रारंभिक बिंदु थी। यद्यपि यह यात्रा जारी है, फिर भी सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण को साकार करने में सीआईसी की भूमिका अभिन्न एवं महत्वपूर्ण बनी हुई है।

धन्यवाद।